भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 386
(21 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

वारंगल जिले में मनरेगा का प्रदर्शन

386. डॉ. कडियम काव्य:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों के दौरान तेलंगाना के वारंगल जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का कार्य-निष्पादन कैसा रहा है और प्रत्येक वर्ष प्रति परिवार औसतन कितने व्यक्ति दिवस रोजगार प्रदान किए गए हैं;

(ख) क्या वारंगल जिले में इस योजना के अंतर्गत कोई मजदूरी का भुगतान लंबित है और यदि हां, तो ऐसे विलंब की अवधि और राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त लाभार्थियों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): पिछले दो वित्तीय वर्षों 2024-25 और 2025-26 के दौरान, तेलंगाना के वारंगल जिले में योजना के तहत मांग की तुलना में पात्र ग्रामीण परिवारों को क्रमशः 99.99% और 99.97% को रोजगार की पेशकश की गई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रति परिवार रोजगार के औसत दिनों की संख्या 2024-25 में 41.12 और 2025-26 में 27.89 थी।

(ख) और (ग): महात्मा गांधी नरेगा के तहत, मजदूरी भुगतान केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा की जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, पिछले वर्षों की स्वीकार्य लंबित देनदारियों, यदि कोई हो, की भारत सरकार द्वारा विधिवत प्रतिपूर्ति की जाती है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 तक की सभी देय और स्वीकार्य लंबित मजदूरी देयताओं का भुगतान पहले ही कर दिया गया है।